भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3908

27.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

3908. श्रीमती संगीता यादव:
श्री लहर सिंह सिरोया:
डा. कविता पाटीदार:
श्री मनन कुमार मिश्र:
श्री उज्ज्वल देवराव निकम:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत जीडब्ल्यूएच में प्रतिबद्ध संचयी क्षमता कितनी है;

(ख) अनुमोदित फर्मों के लिए भूमि अधिग्रहण और संयंत्र चालू करने की स्थिति क्या है;

(ग) क्या घरेलू सेल विनिर्माण ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए आयात पर निर्भरता को कम किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वैश्विक साझेदारों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): देश में 50 गीगावाट घंटा की उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मई 2021 में अनुमोदित ₹18,100 करोड़ के कुल परिव्यय वाली "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

50 गीगावाट घंटा की कुल लक्षित क्षमता में से 40 गीगावाट घंटा चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। स्वीकृत लाभार्थी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण और संयंत्र चालू करने की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी कंपनियाँ**	**भूमि अधिग्रहण पूर्ण**	**आवंटित क्षमता (गीगावाट घंटा में)**	**संस्थापित क्षमता (गीगावाट घंटा में)**
1.	एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	5	0
2.	ओला सेल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	20	1
3.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	हाँ	5	0
4.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	हाँ	10	0
	कुल		**40**	**1**

(ग) और (घ): पीएलआई एसीसी योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करके और बड़े घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी उद्योगों को देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके आयातित एसीसी पर भारत की निर्भरता को कम करना है। हालांकि, वर्तमान में घरेलू मांग का अधिकांश हिस्सा अभी भी आयात के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है।

(ङ) और (च): पीएलआई एसीसी लाभार्थी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ये कंपनियां स्वयं विकसित (इन-हाउस) एसीसी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं।

******